न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व ता... अहकाम जे... हुक्म की त... में जारी...
	जयनारायण वगै0 बनाम् लक्ष्मीदत्त वगै0 दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 93/2018 को इस शर्त पर खातेदारी अधिकार सृजित किये जाते है कि यदि वादीगण वर्तमान में देय प्रचलित डी0एल0सी0 दरों से अपने नाम अंकित होने वाली भूमियों की स्टाम्प ड्यूटी राज्यकोष में जमा करवाता है तो उन्हें खातेदारी अधिकार न्यायहित में सृजित किये जा सकते है। **आदेश** अतः वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर इस शर्त पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम परसरामपुरा तन् सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1640 रकबा 0.11 हैक्टर सम्पूर्ण, 1641 रकबा 0.02 हैक्टर सम्पूर्ण, 1636 रकबा 0.12 हैक्टर, 3354/1637 रकबा 0.22 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 3356/1657 रकबा 0.03 हैक्टर, 1869 रकबा 0.03 हैक्टर, 1870 रकबा 0.01 हैक्टर, 1871 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 0.60 हैक्टर में से वादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का एंव वादी नम्बर 2 को 1/5 हिस्से का एंव वादी नम्बर 3 को 1/5 हिस्से का एंव वादी नम्बर 4 को 1/5 हिस्से का एंव वादी नम्बर 5 व 6 को 1/5 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त एंव उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। शेष राजस्व रिकार्ड बदस्तूर जमाबन्दी रहे। उक्त घोषित रकबा की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों पर स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.21 15:47:48 IST
Reason: SelfAttested